

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार (अनु-4/निरीक्षण) विभाग

क्रमांक : प.5(5)प्र.सु./अनु-4/2006


जयपुर, दिनांक : 08/08/2008

--: विभागीय परिपत्र :-

इस विभाग के पूर्व समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28.7.2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि अधिकारी एवं कर्मचारीगण कार्यालय में निर्धारित समय (प्रातः 10.00 बजे) पर उपस्थित होकर राजकार्य का सम्पादन करें। इस परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्यरत कार्मिक विलम्ब से उपस्थित होने पर भी उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति अंकित करते समय कार्यालय में आने का समय अंकित नहीं करते हैं जो कि गम्भीर दुराचरण एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।


अतः इस विभाग में कार्यरत सभी कार्मिकों से यह अपेक्षा है कि उपरोक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें।

साथ ही समस्त गुप अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में निर्धारित समय के पश्चात उपस्थित होने वाले कर्मचारियों के हस्ताक्षर के कॉलम में कास लगाकर उपस्थिति पंजिका 10.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

  
(अनूपी.जैन)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त शासन उप सचिव, प्र.सु.वि./जन अभियोग निराकरण व मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग।
2. समस्त सहायक शासन सचिव, प्र.सु.वि./जन अभियोग निराकरण व मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग।
3. समस्त अनुभागाधिकारी, प्र.सु.वि./जन अभियोग निराकरण व मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग।

  
(रामकरण मीणा)  
उप शासन सचिव